कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – मेहरमा

पत्रांक :- 219 / वि०

प्रेषित ,

सभी मुखिया,
सभी पंचायत सचिव,
प्रखण्ड-मेहरमा ।

मेहरमा, दिनांक :- 27-01-2025

विषय :- पंचायत सहायकों के चयन के संबंध मे,

प्रसंग :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी,गोड्डा का ज्ञापांक:-42/जि0पं0, दिनांक:- 20-01-2025,
विभागीय संकल्प संख्या- 742/ रांची, दिनांक- 15-03-2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प एवं पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण किया जाए। उक्त पत्र द्वारा पंचायत सचिवालय को गतिशील सेवा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा कई नई योजनाओं यथा डिजिटल पंचायत योजना, पंचायत सुद्दढीकरण योजना आदि की शुरुआत की गई है। भविष्य मे पंचायत भवन को जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत केंद्र के रूप मे विकसित किए जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य मे सभी ग्राम पंचायतों मे हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी है ताकि आम लोगों को पंचायत भवन से जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने मे मदद मिल सके। हेल्प डेस्क की स्थापना के निमित्त ऐसे अनुभवी कर्मी की आवश्यकता होगी जिन्हे पंचायत सचिवालय के कार्यों का न केवल पूर्व से अनुभव हो बल्कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों मे समन्वय स्थापित करने की क्षमता भी रखते हों।

विभागीय संकल्प संख्या- 742/ रांची, दिनांक- 15-03-2024 द्वारा प्रस्तावित हेल्प डेस्क के लिए पूर्व से चयनित पंचायत स्वयंसेवकों मे से पंचायत सहायक के रूप मे कार्य लेने का निर्णय किया गया है।

अतः निदेशित किया जाता है कि दिनांक- 03-02-2025 तक विभागीय संकल्प सं- 742/रांची, दिनांक- 15-03-2024 के आलोक मे निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पंचायत सहायकों का चयन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित पंचायत सहायकों की सूची ग्राम सभा सहित प्रखण्ड समन्वयक, पंचायत राज स्वशासन परिषद, मेहरमा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
मेहरमा ।

ज्ञापांक:- 219 / वि0, मेहरमा, दिनांक:- 27-01-2025

प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी,गोड्डा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
मेहरमा ।

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्या–1स्था(मु0)–18/2016 97 /
झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल,एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा,राँची–834004
e-mail:- panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

शैलेश कुमार, झा0प्र0से0
उप निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अत्यावश्यक फैक्स/ई–मेल

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक :– 15.1.25

विषय :– पंचायत सहायकों के चयन के संबंध में।
प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 1594 दिनांक 09.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प एवं पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण किया जाय। उक्त पत्र द्वारा पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणवश अगले आदेश तक स्थगित करने के संबंध में संसूचित किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में सूचित करना है कि सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक के पद पर स्थगित किए गए चयन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिला में पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

उप निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–1स्था(मु0)–18/2016 97 /, राँची, दिनांकः– 15.1.25

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 42/जि0पं0, दिनांक.. 20/01/25

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला - गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
गोड्डा
20/01/2025

Scanned by CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्याः–01स्था0(मु0)–18/2016......1369....पं0

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
email : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

संदीप दूबे
उप निदेशक ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक :– 14/06/2024

विषय :– पंचायत सहायकों के चयन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय संकल्प संख्या– 742 दिनांक– 15.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में ग्राम पंचायत को कियाशील बनाने, पंचायत सचिवालय को गतिशील सेवा प्रदान करने वाले हब के रूप में विकसित करने हेतु विभाग द्वारा कई नई योजनाओं की शुरूआत की गयी है। पंचायत सचिवालय को जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में सभी ग्राम पंचायतों में हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी है । हेल्प डेस्क की स्थापना के निमित्त ऐसे अनुभवी कर्मी की आवश्यकता होगी जिन्हें पंचायत सचिवालय के कार्यों का न केवल पूर्व से अनुभव हो बल्कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने की भी क्षमता रखते हों।

विभागीय संकल्प संख्या– 742 दिनांक–15.03.2024 द्वारा पूर्व में चयनित पंचायत स्वयंसेवकों से पंचायत सहायक के रूप में कार्य लेने का निर्णय लिया गया है। पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया/प्रोत्साहन राशि के संबंध में विस्तृत सूचना संकल्प में वर्णित है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या– 742 दिनांक– 15.03.2024 के आलोक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए

Scanned by CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

पंचायत सहायकों का चयन प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करने की कृपा की जाय । साथ ही चयनित पंचायत सहायकों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(संदीप दुबे) 2024
उप निदेशक

ज्ञापांकः–01स्था0(मु0)–18/2016...1369...../पं0, राँची, दिनांक–14/06/2024

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद,/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक
14/06/2024

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल,एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा,राँची–834004
e-mail:- panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

संकल्प

विषयः– पंचायत सचिवालय के गठन प्रक्रिया हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में।

ग्राम पंचायतों के प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए विभागीय संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 द्वारा पंचायत सचिवालय के गठन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। संकल्प में लिये गये निर्णयानुसार पंचायत सचिवालय ग्राम स्तर पर स्थानीय पढ़े–लिखे युवक–युवतियों का एक समूह है जो गाँव में कार्य करने को इच्छुक है तथा ग्राम पंचायत के विकास में पंचायत को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम पंचायत के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में पंचायत सचिवालय को गतिशील सेवा प्रदान करने वाले हब के रूप में करने हेतु विभाग द्वारा कई नई योजनाओं यथा–डिजिटल पंचायत योजना, पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना आदि की शुरूआत की गई है। भविष्य में पंचायत भवन को जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में सभी ग्राम पंचायतों में हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी है ताकि आमलोगों को पंचायत भवन से जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ ही इसके संचालन के निमित्त ऐसे अनुभवी कर्मी की आवश्यकता होगी जिन्हें पंचायत सचिवालय के कार्यों का न केवल पूर्व से अनुभव हो बल्कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने की भी क्षमता रखते हों।

(1) ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित हेल्प डेस्क के संचालन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :–

संकल्प की कंडिका–2 में निम्न प्रावधान है :–

<u>प्रोत्साहन/सम्मान राशि–</u>

पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उन्हें कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जायेगी, जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग करेगा।

उपर्युक्त कंडिका–2 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"<u>प्रोत्साहन/सम्मान राशि–</u>

i. पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उन्हें कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जायेगी, जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग करेगा।

ii. पंचायत में पूर्व से कार्यरत पंचायत स्वयंसेवकों से प्रस्तावित हेल्प डेस्क में पंचायत सहायक (अधिकतम 04) के रूप में कार्य लिया जाएगा। पंचायत सहायक के रूप में उनके द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि के रूप में प्रतिमाह 2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये भुगतान किया जाएगा। पंचायत सहायक के मुख्य कार्य एवं दायित्व तथा उनके द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी एवं संचिका के संधारण से संबंधित विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

15/3/24

कृ०पृ०उ०..2/..

Scanned by CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

iii. ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करते हुए पंचायत स्वयंसेवकों से प्रारंभ में एक वर्ष के लिए पंचायत सहायक के रूप में कार्य ले सकेंगी। उनके वार्षिक कार्यों का मूल्यांकन प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पुनः एक वर्ष के कार्य हेतु निर्णय ले सकेंगे। पंचायत सहायक से कार्य उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही ली जा सकेगी, किन्तु इससे पूर्व इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत आदेशों से इनका कार्यकाल प्रभावित होगा।

iv. पंचायत सहायक के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा एवं मासिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखण्ड समन्वयक के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

v. पंचायत सहायक के असंतोषप्रद प्रदर्शन अथवा आरोप आदि की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव की अनुशंसा पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यमुक्त करने में सक्षम होंगे।

vi. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील हेतु निदेशक, पंचायत राज निदेशालय सक्षम प्राधिकार होंगे एवं अपील समर्पित करने हेतु अधिकतम समयावधि एक माह होगी।

(2) पंचायत सहायक के रूप में कार्य लिये जाने के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि का भुगतान स्थापना व्यय (विस्तृत)–मांग संख्या–56–पंचायती राज विभाग–मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उप शीर्ष–54–पंचायत सचिवालय/पंचायत राज स्वशासन परिषद–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–15–कार्यालय व्यय–विपत्र कोड–56S-2515000154000315 अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(3) ग्राम पंचायतों में चयनित/कार्यरत पंचायत सहायक के प्रोत्साहन/सम्मान राशि के भुगतान हेतु संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी अधिकृत होंगे तथा इससे संबंधित आवंटन सभी जिलों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) विभागीय संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

(5) प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 12.03.2024 की बैठक में मद संख्या–30 में स्वीकृति प्राप्त है।

15/3/24

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 01स्था (मु0) –18/2016 –342–/, राँची, दिनांक :–15.03.2024

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/24

सरकार के प्रधान सचिव।

...work/Ashish jee related/Sankalp & Notification Help Desk Manager

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner